मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत भवन निर्माण, विकास के लिए स्वीकृति पत्र

संख्या 581 /मु०वि०प्रा०/मानचित्र संख्या BP/R/V01/06/1314 दिनांक 27-01-14

श्री/श्रीमती मौ० असरार अब्बास पुत्र श्री मौहम्मद अब्बास व श्रीमती नुसरत

निवासी अफ्शा पत्नी श्री मौ० अफ्ताब एव श्री आफाक नजर पत्नी श्री मौ० नजर
श्रीमती खुर्शीद पत्नी श्री मौ० अब्बास निवासी पीरजादा मुरादाबाद

स्थल पण्डित नगला बाई पास लाजपत नगर (२) मुरादाबाद

आपके प्रार्थना पत्र संख्या...................... दिनांक.................... के सन्दर्भ में मुझे आपको सूचित करना है कि उपरोक्त पत्र के साथ आप द्वारा प्रस्तुत किया गया भवन निर्माण सम्बन्धी मानचित्र उ० प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृति किया जाता है। जिसकी प्रति आदेश के साथ संलग्न है।

1. यंह मानचित्र स्वीकृति के दिनांक से केवल 5 वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की इस स्वीकृति से सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय। जैसे नगर पालिका मु० वि०प्रा० रेलवे सेटिलमेंट, नोटिफिकेशन एरिया किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित नही होता यदि प्रभावित होता है। तो उसकी जिम्मेदारी निर्माणकर्ता पर होगी ।
3. भवन मानचित्र जिसके प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है। केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा जो वह बिना आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगा उस पर शासन अथवा किसी भी स्थानीय निकाय को विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. दरवाजे व खिड़किया इस तरह लगाये जायेगे कि वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि अथवा सड़क आदि की ओर प्रोजेक्टेड न हों।
7. बिजली की लाईन से 5 फीट के अन्तर से तथा विद्युत उपनियमों (पाईप लाईन) के विरूद्ध कोई कार्य न किया जायेगा।
8. सड़क सर्विस लेन, सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री बिल्डिंग मैटिरियल नहीं रखा जायेगा तथा गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्र का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना आवश्यक होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के द्वारा (स्पैसीफिकेशन) नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भूमि एवं भवन के स्वामित्व की जिम्मेदारी स्वयं प्रार्थी पर होगी।
10. सड़क पर अथवा वैक लैन में कोई रेम्प अथवा स्टेप्स नहीं बनाया जायेगा और वह अपना कार्य केवल अपने ही भूमि पर सम्पन्न करेगा।
11. मानचित्र में कटे हुए भाग का निर्माण नहीं किया जायेगा एवं निर्माण स्वीकृत मानचित्र के आधार पर ही करना होगा।
12. यदि मानचित्र में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्ते (कन्डीशन) के साथ स्वीकृत किया जाता है तो वह पूर्ति मान्य होगी एवं भवन निर्माण सम्बन्धी समय–समय पर प्रसारित शासनादेशों को ध्यान में रखते हुए ही किया जायेगा।
13. निर्माणकर्ता इस स्वीकृत का उपयोग नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 को किसी भी धारा से बचने के लिए नहीं कर सकेगा और यदि उस स्वीकृति का विपरीत प्रभाव उपरोक्त अधिनियम को किसी भी धारा पर पड़ता है तो वह स्वीकृति उस सीमा तक निरस्त समझी जायेगी।
14. स्वीकृत मानचित्र के अनुसार भवन निर्माण पूर्ण होने के 1 माह के अन्दर अपना कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। प्रमाण पत्र के बगैर भवन प्रयोग में नहीं लायेंगे।
15. भू–स्वामित्व की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
16. भवन का पानी नाली में ही जाये, सड़क पर न फैले। प्रार्थी को इसकी समुचित व्यवस्था करनी होगी।
17. भूखण्ड के सामने 02 पेड़ लगाने अनिवार्य होंगे।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

अवशेष 90,00,000 (नब्बे लाख) की धनराशि बकाया
छमाही व एक वर्ष सहित जमा कराये जाने हेतु

मुख्य नगर नियोजक

मुख्य नगर नियोजक/ ~~प्रभारी मानचित्र/ सचिव/ उपाध्यक्ष~~
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,
मुरादाबाद

P.T.O

P.T.O